भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2748

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

शिक्षा पर घटता व्यय

2748 **श्री जावेद अली खान:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा पर व्यय वर्ष 2013-14 में केंद्रीय बजट के 4.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025-26 में 2.5 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय में इस प्रकार की भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2026-27 के दौरान आज की तिथि तक शिक्षा पर केंद्रीय आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य सरकार किस प्रकार प्राप्त करेगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा होने के कारण, शिक्षा पर व्यय बढ़ाना केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), **2020** में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के **6** प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

"शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण, **2022-23"** की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय (केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में **4.06%** है।

पिछले पांच वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय के वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है**:**

(रू.करोड़ में)

वित्त वर्ष	वास्तविक व्यय
2021-22	80,829.64
2022-23	97,885.00
2023-24	1,11,408.39
2024-25	1,10,477.28
2025-26	1,17,844.28

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षा पर लक्षित सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6% है। यह नीति केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का स्पष्ट रूप से समर्थन और दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

एनईपी, 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलों और कार्रवाईयों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना होगा। इसलिए, इस नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, विनियामक निकायों आदि सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जाएगा।
